



2026:AHC:127442

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19936/2026**

छोटू उर्फ रिशु

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : विजय बहादुर शिवहरे

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.,

**न्यायालय संख्या - 45**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय बहादुर शिवहरे की ओर से पेश हुवे श्री संदीप मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान एजीए को सुना।
2. दिनांक 02.06.2026 की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, विद्वान एजीए प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित होने के संबंध में नोटिस प्रथम सूचक/विरोधी पक्ष संख्या 2 को दिया गया है। नोटिस की तामील के बावजूद, वर्तमान जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



3. तत्काल जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 107/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) (सम्बंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 506) और पाँक्सो अधिनियम की धारा 4, पुलिस स्टेशन - बिवार, जिला - हमीरपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष थी और वह एक सहमति देने वाली पक्षकार थी। उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि वह आवेदक से प्यार करती थी, अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद उनके बीच एक मंदिर में शादी हो गई। आवेदक द्वारा बलात्कार का कोई अपराध नहीं किया गया था, और विवाह संपन्न होने के बाद, आवेदक और पीड़िता पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। पीड़िता की 04.05.2026 को अवर न्यायालय में पीडब्लू-2 के रूप में पूछताछ की गई है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया; बल्कि, उसने कहा कि उसने आवेदक को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया और आवेदक ने मजबूरी में शादी की। 04.05.2026 को आवेदक और पीड़ित के बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 25.10.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



6. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

8. आवेदक - **छोटू उर्फ रिशु**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 174-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत, कानून के अनुसार, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16.06.2026

राधिका

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*